



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वारा
पत्रांक: 1113/12-1, दिनांक, कोटद्वारा, 17 अक्टूबर, 2017.

Tel/Fax No. 01542-221467
E-mail: dfo@forest-uk.com
dfo_lansdowne@yahoo.com

सेवा में,

अधिक्षासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडोन।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोमी घनसाती मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.53 हे० वन भूमि का गैर योजनी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून का पत्रांक 1231/FP/UK/ROAD/9770/2015 दिनांक 06-10-2017.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो कि आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है के साथ भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्यक्षेत्र), देहरादून का पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/२३/२०१६/एफ०सी०/११२१ दिनांक २६.९.२०१७ संलग्न प्राप्त हुआ है। अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा निर्देशित किया गया है कि वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण में प्रदत्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त की अनुपालन आख्या/चालन ऑनलाईन अपलोड किया जाये। उक्त पत्र में दिये गये निर्देश के अनुसार आपको क्षतिपूर्क कूटारोपण एवं एन०पी०वी० की घनराशि का डिमाण्ड नोट प्रेषित किया जा रहा है।

बिन्दु सं० ०१- प्रत्यावर्तन भूमि के बदले ३०६० हे० ग्राम-कल्याण, सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूर्क कूटारोपण एवं उसके १० को तक रखरखाव वसूली वर्ष २०१७-१८ हेतु निर्धारित दर के अनुसार $3060 \times 253332.080 = 775196.00$ (रु० सात लाख पचाहत्तर हजार एक सौ छ्यानवे मात्र) की घनराशि आपके द्वारा जमा की जानी है, तथा उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है। अतः इसे वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी द्वारा हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने के आदेश निर्गत करवाने का कष्ट करें।

बिन्दु सं० ०२- भारत सरकार के पत्र सं० ५-३/२००७-एफ०सी० दिनांक ५.२.२००७ के तहत दिये गये आदेशनुसार कुल वर्तमान मूल्य तथा भारत सरकार के उपरोक्त पत्र दिनांक २६.९.२०१७ द्वारा प्रदान की गई सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त सं० ७ के अनुसार एन०पी०वी० की दर के अनुसार $1.53 \times 657000.0 = 1005210.0$ (रु० दस लाख पांच हजार दो सौ दस मात्र) की घनराशि आपके द्वारा जमा की जानी है। उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु सं० १, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, में भी भारत सरकार द्वारा दी शर्तों का अनुपालन कर पूर्ण आख्या उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।

पत्रांक / दिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

१. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
२. जिलाधिकारी पौड़ी, गढ़वाल।

प्रवदीय
प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वारा।

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडोन वन प्रभाग, कोटद्वारा।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक:- 2601/12-1, दिनांक, कोटद्वार, 21-2-2018.



सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, लैन्सडौन।

विषय:- जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी-घनसाली मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.530 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन।
सन्दर्भ:- इस कार्यालय का पत्रांक 113/12-1 दिनांक 17.10.2017, पत्रांक 2593/12-1 दिनांक 20.02.2018, तथा आपका पत्रांक-453/21सी0 दिनांक 15-2-2018.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, उक्त मोटर मार्ग हेतु अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि जनपद पौड़ी गढ़वाल में सिलोगी-घनसाली मोटर मार्ग में N.P.V की दर 8.45/हे0 किया जाये, N.P.V की बढ़ी हुई दर के अनुसार $(1.53 \times 8450000 = 1292850.00)$ रुपये बारह लाख बयानवे हजार आठ सौ पचास की घनराशि संशोधित कर पुनः प्रेषित कि जा रही है, जो कि आपके द्वारा जमा की जानी है। उपरोक्त के अतिरिक्त बिन्दु सं0 1,3,4,5,6,7,8,9,10, में भी भारत सरकार द्वारा दी शर्तों का अनुपालन कर पूर्ण आख्या उपलब्ध करवाने का कष्ट करें।
संलग्न- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

पत्रांक 2601/12-1 दिनांकित

प्रतिलिपि:- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फोरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।